TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 7th FEBRUARY, 1997

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
*****

New Delhi the 7th February, 1997

NOTIFICATION

S.O.   (E).- Whereas by notification number S.O.No. 729(E) dated 29th September, 1993 issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 2, the training and rehabilitation of disabled soldiers at Kirkee, Pune, of the Queen Mary's Technical Institute for Disabled Soldiers, Pune, as an eligible project or scheme for a period of three years commencing from the assessment year 1994-95;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

AND WHEREAS the National Committee being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the scheme or project of the training and rehabilitation of disabled soldiers at Kirkee Range Hills, Pune, of the Queen Mary's Technical Institute for Disabled Soldiers, KIrkee Range Hills, Pune-411020, at the estimated cost of rupees twenty five lakhs only as an eligible project or scheme for a further period of two assessment years, commencing from assessment year 1997-98.

(V.K. SEHGAL)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 10269
F.No. NC-114/96

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii) में दिनांक 7 फरवरी, 1997

को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
...

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी, 1997

अधिसूचना

का0आ0 (अ)-केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कक के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 29 सितम्बर, 1993 को का0आ0 सं0 729 (अ) के द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से क्रम संख्या 2 पर क्वीन मेरीस टेक्नीकल इंस्टीट्यूट फार डिस्एबल्ड सोलजरस पुणे द्वारा कीर्की, पुणे में अपंग सैनिकों के प्रशिक्षण एवं पुर्नवास की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1994-95 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ;

और उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से आगे बढ़ने की संभावना है;

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम उचित रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली 1962 के नियम 11ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को दो और वर्षों के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ।

अब, अतएव, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 कक के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्वीन्स मेरीस टेक्नीकल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्एबल्ड सोल्जरस, पुणे द्वारा मात्र पच्चीस लाख रुपये की अनुमानित लागत पर कीर्की, पुणे में चलाई जा रही अपंग सैनिकों के पुर्नवास एवं प्रशिक्षण की योजना को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 से शुरू होने वाले दो निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

(वी0के0 सहगल)
उप सचिव, भारत सरकार